पत्रांक-3/एम० 7/2005 का०-945

बिहार सरकार

निगरानी विभाग

सूचना भवन, चौथी मंजिल, पटना ।

संकल्प

विषय :- सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त परिवाद-पत्रों पर कार्रवाई के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र स०-945 दिनांक-24.06.05 द्वारा मुख्य सचिव, बिहार ने सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त बेनामी एवं छद्‌म नामी परिवाद-पत्रों पर कार्रवाई के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन जारी किया है।

2. निगरानी विभाग द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। इस संदर्भ में निगरानी विभाग में जन प्रतिनिधि एवं आम जनता से सरकारी सेवकों के विरूद्ध बड़ी संख्या में परिवाद-पत्र हो रहे हैं, जिस पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाती है।

3. ऐसा पाया गया है कि कभी-कभी परिवादी द्वारा प्रारम्भ में सरकारी सेवक के विरूद्ध परिवाद-पत्र, सम्पुष्टि तथा शपथ-पत्र के द्वारा आरोप लगाते हुए जाँच की माँग की जाती है, किन्तु बाद में दूसरे शपथ-पत्र द्वारा आरोप को बेबुनियाद बताते हुए बहकावे में आरोप लगाने की बात कहकर परिवाद-पत्र वापस लेने का अनुरोध किया जाता है। यह परम्परा उचित नहीं है। इससे आधारहीन आरोप लगाने की प्रवृत्ति को बल मिलेगा और सरकारी सेवकों के ब्लैक मेल होने की सम्भावना भी बनी रहेगी।

अत: उपर्युक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि परिवादी द्वारा किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध शपथ-पत्र के साथ दिये गये परिवादों को यह कहकर वापस लेने पर कि यह शपथ-पत्र बहकावे में आकर अथवा दुर्भावना से प्रेरित था तो वैसी परिस्थिति में परिवादकर्त्ता के विरूद्ध गलत शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए कानून-सम्मत कार्रवाई की जाय। साथ ही परिवादी द्वारा गलत शपथ-पत्र दायर करने पर भी उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति मुख्य सचिव, बिहार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विजय कुमार वर्मा)

प्रधान सचिव, निगरानी, बिहार ।

ज्ञापांक - 2697 /पटना, दिनांक 31.05.07

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ निगरानी विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रधान सचिव, निगरानी, बिहार ।

ज्ञापांक - 2697 /पटना, दिनांक 31.05.07

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बिहार, पटना/सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से इस संकल्प की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रधान सचिव, निगरानी, बिहार ।